संख्या- 8/2021/20/1/91-का-2/2021

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 10 दिसम्बर, 2021

विषयः- उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा आउटसोर्सिंग पर रखे गये व्यक्तियों के पारिश्रमिक का भुगतान समय से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्याः8/2019/20/1/91-का-2/2019 दिनांक: 18.12.2019 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल.उ.)/2016टी.सी. दिनांक 07.12.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18.12.2019 के प्रस्तर-4 में निम्नवत् व्यवस्थाकी गयी है:-

"1) कर्मियों को विलम्ब से भुगतान किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेन्सी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज व पैनाल्टी भी लगायी जाय।"

3. इसी प्रकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 07.12.2020 के प्रस्तर-4 में निम्नवत् व्यवस्था की गई है:-

विभागाध्यक्षों द्वारा निविदा उपरान्त सेवा प्रदाता कम्पनियों पर निम्न बिन्दुओं के आधार पर नियत्रंण रखा जायेगा ताकि उनके द्वारा किसी कार्मिक का उत्पीड़न न किया जा सके-

(i). सेवा प्रदाता द्वारा निविदा आवंटन हेतु जमा की गयी ई.एम.डी./एफ.डी./बी.जी. सत्यापन अवश्य कराया जायेगा तथा निविदा आवंटन पश्चात् जब तक सेवा प्रदाता द्वारा EPBG जमा नहीं की जायेगी तथा उसका सत्यापन नहीं हो जायेगा, तब तक सेवा प्रदाता को कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं होगी।

(ii). सेवा प्रदाता को नये कार्मिकों की भर्ती शत-प्रतिशत श्रम विभाग के शासनादेश दिनांक 18.08.2020 के क्रम में सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से करनी

http://shasanadesh.up.gov.in

होगी। पुराने कार्यरत कार्मिकों की सूची एक बार में अन्तिम रूप में बना ली जाय। पूर्व कार्मिकों के सत्यापन का कार्य वेतन निर्गमन के साथ ई0पी0एफ0/ ई0एस0आई0/नियुक्ति पत्र के आधार पर किया जायेगा।

(iii). विभागाध्य यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवा प्रदाता को समाप्त हुए माह के अगले कार्य दिवस में कार्मिकों की उपस्थिति ई-मेल द्वारा उपलब्ध करा दी जाय। उपस्थिति प्राप्त होने के 04 से 06 कार्य दिवस के अन्दर सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिकों को उनका मानदेय अवश्य प्रदान कर दिया जाय तथा प्रत्येक माह की 14 तारीख तक ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. आदि सेवा प्रदाता द्वारा जमा कर दी जाय। उक्त के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष द्वारा सेवाप्रदाताओं को संबंधित धनराशि का भुगतान 30 कार्य दिवस में अवश्य कर दिया जाय। मानदेय भुगतान में विलम्ब की स्थिति में जेम नीति के अनुसार सेवा प्रदाता के ऊपर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।

4. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग पर रखे गये व्यक्तियों के पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक दशा में समय से सुनिश्चित किया जाय, किसी प्रकार की अवैधानिक कटौती न की जाय तथा आबद्ध कार्मिकों का उत्पीड़न न हो।

5. इसी प्रकार आउटसोर्सिंग पर रखे गये व्यक्तियों की प्रत्येक माह EPF/ESI आदि के मद में कटौती की धनराशि निर्धारित खातों में अनिवार्य रूप से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. प्रस्तर-4 एवं 5 पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रथम दायित्व सेवा प्रदाता एजेन्सी को भुगतान करने वाले अधिकारी का होगा। साथ ही समस्त विभागाध्यक्षों को भी पर्यवेक्षण कर यह सुनिश्चित कराना होगा कि सेवादाता एजेन्सी नियमित भुगतान कार्मिकों के बैंक खाते में तथा EPF/ESI की काटौती प्राविधानित खातों में जमा कर उक्त की जानकारी कार्मिकों को दे रही हो।

7. यदि आउटसोर्सिंग पर रखे गये व्यक्तियों के पारिश्रमिक के भुगतान में विलम्ब होता है, कोई भी अवैधानिक कटौती की जाती है या EPF/ESI की काटौती का कोई अनियमित दुर्विनियोग होता है तो इसके लिए सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) तथा सेवा प्रदाता संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय तथा सेवा प्रदाता के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कृपया उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 8/2021(1)20/1/91-का-2/2021, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

निर्मेष कुमार शुक्ल

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in